

अधिसूचना
सं० 8/2015-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015

सा.का.नि. (अ.) केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 27/2011-सीमाशुल्क, तारीख 01 मार्च, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. सं० 153(अ), तारीख 01 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं० 24घ के स्तंभ (4) में प्रविष्टि "5%" के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5%" रखी जाएगी ।

[फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 27/2011- सीमाशुल्क, तारीख 01 मार्च, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का. नि. सं.153 (अ) तारीख 01 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 15/2014-सीमाशुल्क, 11 जुलाई, 2014 द्वारा, सा.का. नि. सं. 462(अ) तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।